N.I.C

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–76/2018

Sl. No. Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3
2.12.19	**आदेश** अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर– प्रथम पक्ष। बनाम 1. यदुनन्दन झा वो युगल किशोर झा वो ज्योति इन्द्र झा, पे0–स्व0 भुनेश्वर झा– विपक्षी प्रथम। 2. अमित कुमार झा, पे0–स्व0 मुनीलाल झा– विपक्षी द्वितीय। 3. विनोदानन्द झा वो दिलीप झा वो दिगम्बर झा, पे0–स्व0 दरोगा झा – विपक्षी तृतीय। 4 नरेश झा, पे0–स्व0 भुवनेश्वर झा– विपक्षी चतुर्थ 5. कुबेर झा वो नागेश्वर झा वो अजय झा वो संजय झा, पे0–स्व0 नरेश झा– विपक्षी पंचम 6. चक्रधर झा वो बागेश्वरी वो कृष्णनन्दन झा, पे0–स्व0 अखिलेश्वर झा– विपक्षी षष्टम 7. विनोद झा वो दिगम्बर झा वो दीलीप झा, पे0–स्व0 मुन्नी लाल झा– विपक्षी सप्तम 8. रधुवीर झा वो महेश झा वो विवेकानन्द झा वो शंकर झा, पे0–स्व0 चुन्नी लाल झा– विपक्षी अष्टम 9. अयोध्या सिंह वो विनोद सिंह, पे0–स्व0 राजेन्द्र सिंह– विपक्षी नवम् 10. ललन सिंह वो झुलन सिंह वो लक्ष्मण सिंह, पे0–स्व0 सुरेन्द्र सिंह– विपक्षी दशम सभी सा0–दिग्धी, अंचल–लक्ष्मीपुर, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** प्रश्नगत वाद को अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक–332, दिनांक–19.06.2018 के आधार पर संस्थित कर कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिसमें वर्णित है कि मौजा दिग्धी के खाता संख्या–171, खेसरा–465 रकवा–3.18.8 (तीन बिगहा अठारह कट्ठा आठ धुर) बिगहा भूमि, जो गैरमजरूआ खास भूमि है एवं रजिस्टर–2 में जमाबंदी संख्या–331 पर दर्ज है, इसके जमाबंदी रैयत दरोगा झा, पे0–छत्रधारी झा है लेकिन जमाबंदी संख्या–331 का प्राधिकार कॉलम खाली है। साथ ही खाता सं0–171, खेसरा सं0–465 के अलावे कई खाते, खेसरे को मिलाकर जमाबंदी कायम की गई है, परन्तु जमाबंदी संख्या–331 पर खेसरावार जमीन दर्ज नहीं है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय एवं स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि खाता सं0–171, खेसरा सं0–465, रकवा–1.96 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास भूमि है, जो किस्म झाडी है। इस पर सर्वे का एक तालाब बना है, जिसके चारो ओर भिण्ड है, जिसपर पेड़–पौधे उगा हुआ है। भिण्ड एवं तालाब पर किन्हीं का दखल–कब्जा नहीं है। साथ ही उक्त वाद में पुनः अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के पत्रांक–294, दिनांक–18.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदी संख्या–331 के जमाबंदी रैयत दरोगा झा, पे0–छत्रधारी झा, सा0–दिग्धी दर्ज है, जिसमें खाता सं0–171 में खेसरा अंकित नहीं है, का कुल रकवा–3.18.8 (तीन बिगहा अठारह कट्ठा आठ धुर) बिगहा दर्ज है,	

जिसमें खाता सं0–171 का रकवा–1.47 एकड़ सम्मिलात है। जमाबंदी संख्या–331 में खेसरे के अनुसार रकवा दर्ज नहीं है। इसके अलावे जमाबंदी सं0–304 के जमाबंदी रैयत हरदयाल सिंह, पे0–रामलगन सिंह खाता सं0–171 में खेसरा अंकित नहीं है, का कुल रकवा–3.2.08 (तीन बिगहा दो कट्ठा आठ धुर) बिगहा या 2.09 एकड़ दर्ज है। उक्त जमाबंदी में भी खाता सं0–171 में रकवा–0.49 एकड़ है। स्थानीय जाँच के क्रम में जमाबंदी संख्या–304 के जमाबंदी रैयत के वंशज का 0.49 एकड़ में से 0.2डी0 पर दुकान बना है। शेष रकवा पर पेड़, बांस एवं झाडी लगा है तथा उक्त भूमि पर जोत–आबाद नहीं होती है।

विपक्षी संख्या–3 को छोड़कर अन्य विपक्षी का जबाव :–

(1) प्रश्नगत जमाबंदी रद्दीकरण वाद चलाने योग्य नहीं है क्योकि अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर ने सुनील कुमार यादव, भूतपूर्व मुखिया के साथ मिलकर गलत रूप से प्रतिवेदन दिया है, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर किये है, जिसमें जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही को खारिज करने एवं प्रतिवादीगण (राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा) को बलपूर्वक (Coercive) कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।

(2) उक्त रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–17619/2018 दिनांक–31.08.2018 के रूप में पंजीकृत है तथा अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित है।

(3) उक्त वाद में सरकार के सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए थे तथा उनके द्वारा अंचल अधिकारी, अपर समाहर्त्ता एवं समाहर्त्ता को महाधिवक्ता के कार्यालय द्वारा तथ्य विवरणी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

(4) विविध वाद संख्या–07/2017–18 में दिनांक–29.01.2018 को पारित आदेश पत्रक एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर का प्रतिवेदन पत्रांक–214, दिनांक–09.05.2018 एवं पत्र संख्या–332, दिनांक–19.06.2018 के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अंचल अमला एवं अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर द्वारा टिनेन्टस लेजर के संधारण में अनियमितता और पंजी–II के सभी इन्द्राजों को संबंधित कॉलम में नहीं भरने की अनियमितता को छुपाने का प्रयास किया गया है।

(5) विद्वान अंचल अधिकारी द्वारा विविध वाद सं0–07/2017–18 को पारित आदेश पत्रक में लिखित रूप में उल्लेख किया गया है कि रैयत दरोगा झा, पे0–स्व0 छत्रधारी झा का नाम पंजी–II के जमाबंदी संख्या–331 पर खाता सं0–171 का कुल रकवा–3.18.8 (तीन विधा अठारह कट्ठा आठ धुर) अंकित है लेकिन उक्त रकवा–3.18.8 (तीन विधा अठारह कट्ठा आठ धुर) से संबंधित खेसरा संख्या अंकित नहीं है तथा वर्ष 1977–78 में हुए बंटवारा के आलोक में विभिन्न जमाबंदियों अभिलिखित की गई है, परन्तु बंटवारा का वाद संख्या, जिसके आलोक में विभिन्न जमाबंदियॉ संधारित की गई है, का उल्लेख पंजी–II में नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि बंटवारा वाद का नम्बर नहीं अंकित होना तथा बंटवारा के आधार पर कायम उक्त जमाबंदियों के कॉलम 9 एवं 10 में खाता, खेसरा उल्लिखित होना तथा शब्दावली "एवं अन्य" अंकित किया जाना यह दर्शाता है कि दुर्भावनापूर्वक पंजी–II संधारित किया गया है। पंजी–II में कथित अपूर्ण इन्द्राज यह दर्शाता है कि अंचल अमलाओं द्वारा दुर्भावनाग्रस्त होकर बिहार काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जमाबंदी रैयत के द्वारा धारित भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) उक्त अधिनियम के अनुसार टिनेन्टस लेजर एवं अन्य अभिलेखों को संधारित किया जाना आवश्यक है।

(7) अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर का ज्ञापांक संख्या–214, दिनांक–09.05.2018 राजस्व कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन, जिसमें कैडेस्टल सर्वे खतियान के आलोक में खाता संख्या–171 के खेसरा सं0–465 की भूमि 1.96 डी0 तालाब तथा खाता सं0–171 का खेसरा सं0–521 की भूमि रकवा–0.56डी0 भिन्ड के रूप में दर्ज

है जबकि मौजा–दिग्धी में अवस्थित खाता सं0–171, खेसरा सं0–521 गैरमजरूआ खास के रूप में दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, नवनीती प्रसाद सिंह द्वारा हाल में ही यह कानून प्रतिपादित किया गया है कि कैडेस्टल सर्वे खतियान में वर्णित खेसरा की भूमि केवल उक्त खेसरा के इतिहास को दर्शाता है तथा यह मामले में जमीन के प्रकृति के संदर्भ में किसी प्रकार का राय कायम करने का आधार नहीं है।

(8) यह उल्लेखनीय है कि न तो उक्त प्रतिवेदन और न ही विविध वाद में यह उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार खेसरा सं0–465 एवं 521 दरोगा झा के नाम पर जमाबंदी संख्या–131 पर अंकित की गई।

(9) माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में यह आदेश दिया गया है कि बहुत समय से कायम जमाबंदी, जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व तथा सरकार में निहित होने से कायम है, के संबंध में बिहार भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है सिवाय सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर।

(10) अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन ज्ञापांक–214, दिनांक–09.05.2018 की कंडिका 5 में उल्लेख किया है कि जमाबंदी संख्या–331 के जमाबंदी रैयत के वंशजों द्वारा राज बनैली, भागलपुर का परवाना सं0–7032, दिनांक–16.12.1931 एवं भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। उक्त परवाना यह प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत जमीन जमाबंदी रैयत को 85 वर्षो से अधिक पूर्व में बंदोवस्त की गई थी।

(11) यह सही है कि अपर समाहर्त्ता को बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 तथा उसके तहत निर्मित नियमावली में जमाबंदी रद्दीकरण की शक्ति प्रदान की गई है तथापि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकार को उक्त शक्ति का प्रयोग पूर्ण संतुष्टि के उपरांत बहुत कम मामले में (Sparingly) किया जाना चाहिए।

(12) अपर समाहर्त्ता को जमाबंदी रद्दीकरण की कार्यवाही प्रारंभ करने एवं बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012 के नियम 13(3) के तहत नोटिस निर्गत करने के पूर्व जिले के सरकारी वकील से मंतव्य प्राप्त किया जाना चाहिए था तथा उनके द्वारा यह सावधानी बरतनी चाहिएं कि जमाबंदी रैयत अथवा उनके उत्तराधिकारियों, जिनके द्वारा लगान दिया जा रहा है, को अंचल अमलाओं के फर्जी एवं कपटपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर प्रताडित नहीं हो।

(13) जमाबंदी संख्या–331 के जमाबंदी रैयत/उनके उत्तराधिकारियों के विरूद्ध अंचल अभिलेखों में अपूर्ण इन्द्राजों, जो या तो अंचल अमलाओ के कपटपूर्वक अथवा गलती के कारण है, के आधार पर उपरोक्त वर्णित कार्यवाही किये जाने का आधार नही हो सकता है।

(14) अन्य खेसराओं के साथ–साथ प्रश्नगत दोनों खेसराओं के संबंध में राजस्व/लगान अधतन प्राप्त किया जाना नोटिस के कॉलम 5 में वर्णित विभिन्न जमाबंदियों की सत्यता पर विवाद किये जाने पर रोक लगाता है।

(15) हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेखों के आधार पर दिये गये जाँच प्रतिवेदन पर आधारित अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर का प्रतिवेदन किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं है तथा पुरानी जमाबंदी 331 तथा नई सृजित जमाबंदियॉ किसी भी प्रकार से किसी कानून या कार्यपालक निदेशों का उल्लंधन नहीं करता है इसलिए अपुष्ट आरोपों के आधार पर वर्त्तमान कार्यवाही तथा इसके अन्तर्गत नोटिस निर्गत किया जाना पूर्णत अवैध एवं कपटपूर्ण है।

(16) चूंकि वर्त्तमान कार्यवाही से संबंधित बिन्दु माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय तक वर्त्तमान कार्यवाही स्थगित रखा जाना चाहिए।

विपक्षी संख्या–3 का जबाव :–

(1) खाता सं0–171, खेसरा सं0–465, रकवा–1.96 एकड़ भूमि गैरमजरूआ किस्म झाड़ी दर्ज है तथा खेसरा सं0–521 का रकवा–56डी0 जमीन खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है।

(2) विपक्षी विनादानन्द झा एवं दिलीप झा जमाबंदी रैयत दरोगा झा के पुत्र है।

(3) अन्य विपक्षीगण का कहना है कि बंदोवस्ती कागज दाखिल कर जमाबंदी लगवाया गया है परन्तु सच्चाई में कोई जमीन न तो बदोवस्ती हुआ और न गैरमजरूआ भूमि की बंदोवस्ती हो सकती है।

(4) विपक्षीगण का कहना है कि अगर तमाम जमाबंदी रद्द की जाती है तो विनोदानन्द झा एवं दिलीप झा को कोई आपति नहीं होगा। साथ ही यह भी कहना है कि धोखा देने के नियत से गैरमजरूआ जमीन, जो तालाब का भिण्ड है, उसका गलत जमाबंदी लगवाया है।

(5) सर्वे तालाब, जिसपर भिण्ड बना हुआ है तथा सार्वजनिक है, जिसपर झाडी है उसपर कभी भी हमलोगों के परिवार का न तो दखल– कब्जा था और न रहेगा। शुरू से वह झाड़ी के रूप में रहा है।

(6) विपक्षीगण का यह भी कहना है कि केवाला के द्वारा खाता सं0–117, खेसरा सं0–929, 930, 874, कुल रकवा–3 एकड़ 1–2/3 डी0 जमीन खरीद किया था तथा जमाबंदी अपने नाम कायम कराया परन्तु अन्य विपक्षी अमीत कुमार झा, चुन्नी लाल झा, भुवनेश्वर झा, अखिलेश्वर झा एवं नरेश मोहन झा वगैरह कोई वैधानिक दस्तावेज का धोखा करने के नियत से हल्का कर्मचारी से केवाला की जमीन को अपने नाम पर दर्ज करा लिया, जबकि अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर का न तो उसपर हस्ताक्षर है और न कोई केस संख्या ही दर्ज है।

(7) मूल जमाबंदी संख्या–331 पर खेसरावार रकवा दर्ज नहीं है तथा विपक्षी सं0–03 विनोदानन्द झा, दिलीप झा वगैरह के स्व0 पिता दरोगा झा के नाम दर्ज है, जिन्हें खारिज होकर जमाबंदी संख्या–971, 972, 973, 974, 975 एवं 976 कायम किया गया है। जब मूल जमाबंदी ही गलत है तो उसे खारिज कर दूसरी जमाबदी कायम करना ही गलत है।

निष्कर्ष :–

उभयपक्षों की सुनवाई तथा प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लक्ष्मीपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–दिग्धी, खाता सं0–171, खेसरा सं0–465, रकवा–1.96 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म–झाड़ी भूमि है। उक्त भूमि पर सर्वे के समय से ही एक तालाब बना है, जिसके चारों ओर भिन्ड है, जिस पर पेड़–पौधा लगा हुआ है तथा भिन्ड एवं तालाब पर किसी का दखल–कब्जा नहीं है। उक्त भूमि की जमाबंदी रैयत के रूप में दरोगा झा, पे0–छत्रधारी झा का नाम अंकित है परन्तु जमाबंदी संख्या–331 में प्राधिकार कॉलम में कोई इन्द्राज नहीं है। उक्त जमाबंदी में प्रश्नगत भूमि खाता सं0–171, खेसरा सं0–465 के अतिरिक्त कई खाता, खेसरा भी अंकित है परन्तु खेसरावार रकवा दर्ज नहीं है। उक्त जमाबंदी संख्या–331 पर कुल रकवा–3.18.8 (तीन विधा अठारह कट्ठा आठ धुर) अंकित है। जमाबंदी संख्या–331 विभक्त होकर जमाबंदी संख्या–971, 972, 973, 974, 975 एवं 976 कायम है। जमाबंदी संख्या–331 में वर्णित है कि बंटवारा कैम्प दिग्धी केस नं0–....., होल्डिंग नम्बर–971 से 976 तक पर गया। जमाबंदी संख्या–971 से 976 (973 को छोड़कर) के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सभी जमाबंदियों में अंकित है कि पुराना जमाबंदी फट जाने के कारण रिराईट/नया बनाया गया परन्तु पुरानी जमाबंदियाँ फट जाने एवं नई जमाबंदियाँ कायम करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार का आदेश/दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी आश्चर्य जनक है कि मूल जमाबंदी संख्या–331 फटा नहीं है जबकि बाद

	में उसके विभक्त होने के उपरांत कायम सभी जमाबंदियाँ 971 से 976 तक पुरानी जमाबंदी फट जाने के आधार पर रिराईट/नया बनाये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विभक्त जमाबंदियों में कई विसंगतियाँ है, उदाहरणस्वरूप जमाबंदी संख्या–971 में खेसरा संख्या–930, खाता सं0–117 तथा खाता सं0–171 वगैरह में खेसरा संख्या 946 वगैरह अंकित किया गया है, इसी प्रकार जमाबंदी संख्या–972 पर खाता सं0–171 के तहत 930 दर्शाया गया है जबकि जमाबंदी संख्या–974 में खाता सं0–117, 06, 03 वगैरह अंकित है परन्तु उससे संबंधित खेसरा अंकित नहीं है। जमाबंदी संख्या–976 में खाता सं0–117, खेसरा सं0–930 दर्शाया गया है, जमाबंदी सं0–975 पर खाता सं0–171 के विरूद्ध खेसरा सं0–1246, 1420, 704 वगैरह दर्शाया गया है। मात्र जमाबंदी संख्या–974 पर खाता सं0–96, खेसरा सं0–155, रकवा–0.03 दर्शाया गया है जबकि अन्य किसी भी जमाबंदियों में खेसरावार रकवा का उल्लेख नहीं है। जमाबंदी संख्या–331 के विभाजन से उदभूत जमाबंदी सं0–976 एवं 971 पर खेसरा सं0–930 के विरूद्ध खाता सं0–117 अंकित है जबकि जमाबंदी संख्या–972 पर खेसरा सं0–930 का खाता सं0–171 अंकित किया गया है। यदि आपसी बंटवारा शिड्यूल के आलोक में जमाबंदी कायम की जाती है तो प्रत्येक खेसरा के विरूद्ध रकवा अंकित किया जाना आवश्यक है ताकि स्पष्ट हो कि किस नई जमाबंदी के रैयत को किस खेसरे में कितने भूमि प्राप्त है, जो इस जमाबंदियों में अंकित नहीं है। विपक्षी संख्या–03 को छोड़कर अन्य विपक्षीगण के द्वारा अपने जबाव में मात्र इतना कहा गया है कि यह वाद सुनील कुमार यादव, भूतपूर्व मुखिया से मिलकर अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि पंजी–II में अपूर्ण इन्द्राज दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के तहत किया गया है। उनके द्वारा मात्र अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक–214, दिनांक–09.05.2018 में वर्णित जमाबंदी रैयत के वारिसानो द्वारा राज बनैली, भागलपुर के निर्गत परवाना 1732 की छाया–प्रति उपलब्ध कराने तथा उसमें वर्णित खाता सं0–171, खेसरा सं0–465, रकवा–1.38 एकड़, खेसरा सं0–530, रकवा–0.56 एकड़ एवं खेसरा सं0–873, रकवा–0.18 एकड़ कुल रकवा–2.12 एकड़ का उल्लेख करते हुए अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के वर्त्तमान प्रतिवेदन पत्रांक–332, दिनांक–19.06.2018 को गलत बताया गया है। इस न्यायालय द्वारा बार–बार विपक्षीगण को अपने दावा के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु समय देने के बावजूद उनके द्वारा न तो अपने दावा के संबंध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया और न ही स्पष्ट रूप से प्रश्नगत भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई, इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा मुख्य रूप से यह पक्ष रखा गया कि वर्त्तमान जमाबंदी रद्दीकरण वाद के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या– 17619/2018 दायर की गई है, जिसमें उनके द्वारा वर्त्तमान जमाबंदी रद्दीकरण कार्यवाही को खारिज करने एवं राज्य सरकार एवं अन्य के द्वारा बल पूर्वक (Coercive) कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है एवं जब तक माननीय उच्च न्यायालय, पटना का उक्त समादेश याचिका पर न्याय निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसे स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी संख्या–03–विनोदानन्द झा एवं दिलीप कुमार झा, जो जमाबंदी रैयत दरोगा झा के पुत्र है, द्वारा लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि खाता सं0–171, खेसरा सं0–465, रकवा–1.96 एकड़ गैरमजरूआ, किस्म–झाड़ी के रूप में दर्ज है तथा खेसरा सं0–521, रकवा–0.56 एकड़ जमीन खतियान में गैरमजरूआ खास दर्ज है। उनका यह भी कहना है कि उक्त गैरमजरूआ जमीन कभी भी बंदोवस्ती नहीं हुआ था। अन्य विपक्षीगण धोखा देने के नियत से गैरमजरूआ जमीन, जो तालाब का भिन्ड है उसका गलत जमाबंदी लगवाया है। सर्वे तालाब, जिस पर भिन्ड बना हुआ है, वह सार्वजनिक है तथा उस पर झाड़ी लगा है एवं उस पर कभी	

भी उनलोगों के परिवार का दखल–कब्जा नहीं था तथा शुरू से ही वह झाड़ी के रूप में रहा है। जब जमाबंदी ही गलत ढ़ग से लगाया गया है, तो उस पर आपति करना निरर्थक है। अन्य विपक्षीगण धोखेबाज है तथा कभी सरकारी भूमि का जाली कागज बनाते है तो कभी रैयतर जमीन का। उनका यह भी कहना है कि मूल जमाबंदी संख्या–331 पर खेसरावार इन्द्राज नहीं है तथा विपक्षी सं0–03 विनोदानन्द झा, दिलीप कुमार झा के स्व0 पिता दिलीप झा के नाम पर दर्ज है, जिसे खारिज कर जमाबंदी सं0–971, 972, 973, 974, 975 एवं 976 कायम किया गया। जब मूल जमाबंदी ही गलत है तो उसे खारिज कर दूसरी जमाबंदी कायम होना ही गलत है। विपक्षी संख्या–03 विनोदानन्द झा, दिलीप झा, पे0–दरोगा झा के द्वारा खाता सं0–171 से संबंधित प्रश्नगत जमाबंदियों को रद्द किये जाने पर कोई आपति नहीं होने का उल्लेख किया है। विपक्षीगण द्वारा प्रश्नगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय का कोई स्थगनादेश अथवा यथास्थिति बनाये रखने संबंधी कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि जमाबंदी संख्या–331 के जमाबंदी रैयत स्व0 दरोगा झा के दो पुत्रों विनोदानन्द झा, दिलीप झा द्वारा ही जमाबंदी सं0–331 को गलत दर्शाते हुए जमाबंदी रद्द करने पर कोई आपति नहीं होने के संबंध में अपना लिखित बयान दिया गया है। अतः अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक–332, दिनांक– 19.06.2018 एवं जमाबंदी रैयत 331 के पुत्र विनोदानन्द झा, दिलीप झा, जो प्रतिवादी संख्या–03 है, के लिखित बयान को दृष्टिपथ पर रखते हुए मौजा–दिग्घी के जमाबंदी संख्या–331 एवं उससे निर्मित अन्य जमाबंदियों 971 से 976 में समाविष्ट खाता सं0–171, खेसरा सं0–465 की कुल गैरमजरूआ भूमि को रद्द (विलोपित) किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर को निदेश दिया जाता है कि तदनुसार जमाबंदियों में यथावश्यक सुधार करें। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि उक्त खेसरा की भूमि किसी अन्य जमाबंदी में भी भूमि समाविष्ट है तो उसकी जाँच कर यदि अनाधिकृत रूप से सृजित की गई है तो विधिवत् रद्दीकरण का प्रस्ताव उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के माध्यम से दें। उक्त के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

2/12/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

2/12/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1970 /रा0, दिनांक– 02.12.2019

प्रतिलिपि :–विपक्षीगण/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, लक्ष्मीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/12/19
अपर समाहर्त्ता,
जमुई।